

3/01/23

पत्रावली कमील प्राची व स्वयं प्राची के उप.
होकर एक प्रावपत्र पेश कर प्रकटा में
अब आगे कोई कार्यवाही नहीं करने का
निवेदन किया जिससे पत्रावली स्थिर हो
सकए कि वही प्राची का प्रावपत्र का अन्तर्गत
किया गया। प्रकटा में प्राची व कमील प्राची
विपक्षी सं. 2 व प्राची के मध्य आपकी रायनामा

मामलेसमाप्ती

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक सचिव



न्यायालय उपखंड अधिकारी कार्यालय रा.स. डूंगी

पदेन सहायक कलक्टर

करेडा (भीलवाड़ा) का कार्यवाही मय इनीशियान्सु जज

90 H. 249/2022

तारीख
हुक्म

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

खे जाने से प्राप्ति अब आगे कोई
कार्यवाही नहीं चाले से प्राप्ति का
प्रारंभ की कार्यवाही इसी क्रम पर
समाप्त की जाती है, प्रकडन में सब
दिनांक 28/09/2022 को स्वर निरत
माना जाव र फालदी के सब शुभद
हुक्म इन नम्बर से कम हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा